भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2692**
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

विशेष आर्थिक क्षेत्र

2692. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु में स्वीकृत, परिचालन में और निर्माणाधीन कुल विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना से लेकर अब तक कितना निवेश आकर्षित हुआ, कितना रोजगार सृजित हुआ और कितना निर्यात हुआ;

(ग) क्या तमिलनाडु से कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु में, समान विकास, स्थानीय रोज़गार और पर्यावरण का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और किसानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रभाव की कोई समीक्षा या मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार अधिसूचित, परिचालन और गैर-परिचालन में (विनिर्माणाधीन सहित) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संख्या का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): दिनांक 31.03.2025 तक, तमिलनाडु में एसईजेड में कुल निवेश 72,041 करोड़ रूपये है और कुल 6,07,812 लोगों को रोजगार मिला है। पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में एसईजेड का निर्यात कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
तमिलनाडु के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात (करोड़ रुपये में)	1,16,844	1,36,329	1,72,580	1,77,930	2,03,304

(ग): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश द्वारा संचालित पहलें हैं, जिनकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग की जा सकती है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित अनुमोदन बोर्ड ऐसे प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत सिफारिश की गई हो। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में ऐसे किसी भी एसईजेड की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है।

(घ) और (ड.): आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना, अवसंरचित सुविधाओं का विकास करना और रोजगार के अवसर सृजित करना, ये सभी सिद्धांत एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी एसईजेड, जिनमें तमिलनाडु के एसईजेड भी शामिल हैं, के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 में सभी एसईजेड डेवलपर्स और इकाइयों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले पर्यावरणीय अनुपालनों के लिए प्रावधान और दिशानिर्देश भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सहित सभी एसईजेड के कार्य-निष्पादन और प्रभाव का आकलन एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है। साथ ही, भारत सरकार एसईजेड के विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तुत मासिक कार्य-निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर सभी एसईजेड के समग्र कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करती है।

दिनांक **16** दिसंबर, **2025** को उत्तर के लिए नियत लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या **2692** के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल अधिसूचित एसईजेड	कुल प्रचालनात्मक एसईजेड	गैर-प्रचालनात्मक (विनिर्माणाधीन सहित) एसईजेड
आंध्र प्रदेश	30	25	5
अरुणाचल प्रदेश	1	0	1
बिहार	2	0	2
चंडीगढ़	2	2	0
छत्तीसगढ़	2	1	1
दिल्ली	0	0	0
गोवा	3	0	3
गुजरात	27	22	5
हरियाणा	22	8	14
झारखंड	2	1	1
कर्नाटक	50	38	12
केरल	20	19	1
मध्य प्रदेश	8	6	2
महाराष्ट्र	41	36	5
मणिपुर	1	0	1
नागालैंड	2	0	2
ओडिशा	5	5	0
पुडुचेरी	0	0	0
पंजाब	3	3	0
राजस्थान	6	3	3
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	58	49	9
तेलंगाना	53	37	16
त्रिपुरा	1	0	1
उत्तर प्रदेश	23	14	9
पश्चिम बंगाल	8	7	1
कुल	**370**	**276**	**94**

*****